# पंचदश

# बिहार विधान-सभा

## पंचम सत्र

## अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ष-4

बृहस्पतिवार, तिथि 09 चैत्र, 1934 (श०)
29 मार्च, 2012 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—03

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | .. | .. | 02 |
| (2) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | .. | .. | 01 |
| | | कुल योग | 03 |

जमीन एवं आवास उपलब्ध कराना

''क''-42. श्री अवनीश कुमार सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 21,75,772 महादलित परिवारों में से वास रहित 19,54,826 महादलित परिवार हैं;

(2) क्या बात सही है कि उक्त वास रहित महादलित परिवारों में से 2,20,946 परिवारों के पास वासगीत जमीन नहीं है;

(3) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वासरहित 19,54,826 परिवारों में से मात्र 85,742 परिवारों को वास एवं जमीन उपलब्ध करायी गयी है और शेष 18,69,084 परिवारों के पास अभीतक न तो वास है न ही वास की जमीन है;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपरोक्त वास रहित परिवारों को वासगीत जमीन एवं आवास उपलब्ध कराने हेतु कौन-सी कदम उठाने का विचार रखती है ?

---

खाद्यान्न उपलब्ध कराना

55. डॉ० अच्युतानन्द--स्थानीय हिन्दी दैनिक दिनांक 13 फरवरी, 2012 को प्रकाशित ''35 किलो ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना कठिन'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में अतिगरीब (अन्त्योदय) परिवारों की संख्या 25 लाख एक हजार, बी०पी०एल० परिवारों की संख्या 1 करोड़ 12 लाख 36 हजार 607 और कुल ए०पी०एल० परिवारों की संख्या एक करोड़ सात लाख 83 हजार 663 है;

(2) क्या यह बात सही है कि बी०पी०एल० परिवारों को प्रत्येक महीने 35 कि०ग्रा० की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रतिवर्ष 4719962 लाख मिट्रिक टन के विरुद्ध मात्र 1689372 लाख मिट्रिक टन ही खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है, जिससे प्रतिमाह 25 कि०ग्रा० खाद्यान्न ही बी०पी०एल० परिवारों को मिलता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो ए०पी०एल० परिवारों को भी राशन उपलब्ध कराने और बी०पी०एल० परिवारों को 35 कि०ग्रा० प्रतिमाह खाद्यान्न उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

कार्रवाई करना

56. श्री अवनीश कुमार सिंह--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2011-12 में 423 गोदामों का निर्माण भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराना था परन्तु अभीतक एक भी गोदाम का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, यदि हां, तो इसके लिए दोषियों पर सरकार कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

पटना:
दिनांक 29 मार्च, 2012 (ई०) ।

लक्ष्मीकान्त झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

---

नोट-''क''-दिनांक 15 मार्च, 2012 को सदन द्वारा स्थगित ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 166-डी०टी०पी०--450